सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025/424 दर्ज तिथिः— 16.06.2025

1. हरिराम पुत्र पनालाल
2. कुंभा पुत्र हुकमा
3. काछबाराम पुत्र आदूराम
4. गोमाराम पुत्र दुदाराम
5. गोरधनराम पुत्र जेठाराम
6. घमंडाराम पुत्र दुदाराम
7. घमण्डाराम पुत्र जेठाराम
8. चम्पाराम पुत्र आदुराम
9. चिमाराम पुत्र हेमाराम
10. धनराज पुत्र पनालाल
11. पालूदेवी पत्नी पनालाल
12. भूराराम पुत्र हेमाराम
13. भीखाराम पुत्र हुकमाराम
14. भीया पुत्र जेठा
15. माली पत्नी जेठा
16. लुम्बाराम पुत्र पनालाल
17. हनुमानराम पुत्र हेमाराम

जाति जाट निवासी सगराणियों की बेरी तहसील गुड़ामालानी।

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. लिखमाराम पुत्र खेमाराम
2. अणसीदेवी पत्नी खेमाराम
3. जमनादेवी पत्नी मोटाराम
4. नगा पुत्र खेमा
5. भेरा पुत्र खेमा
6. मोटाराम पुत्र रूगाराम
7. आईदान पुत्र भीखाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:59:52 IST
Reason: SelfAttested

8. उर्मिला पुत्री उमाराम
9. कपिल पुत्र कृष्णराम
10. कुलदेव सियाग पुत्र कृष्णराम
(विप्रार्थी संख्या 09 व 10 नाबालिग की वली माता विप्रार्थी संख्या 11)
11. ममता पत्नी कृष्णराम
12. कुंभाराम पुत्र निंबाराम
13. कालू पुत्र जोधा
14. खेताराम पुत्र सताराम
15. चनणीदेवी पत्नी चिमाराम
16. चन्दुदेवी पत्नी चिमाराम
17. जेठाराम पुत्र रावताराम
18. जोगा पुत्र भारू
19. डूंगरा पुत्र दामा
20. देवाराम पुत्र रावताराम
21. बाबूलाल पुत्र खेताराम
22. मुकेश पुत्र निंबाराम
23. माडू पत्नी खेताराम
24. मिरगो पत्नी निम्बाराम
25. मोहन पुत्र चिमाराम
26. रमेश पुत्र उमाराम
27. राउ पुत्र जोधा
28. राजू पुत्र पेमा
29. रामा पुत्र अचला
30. रावता पुत्र दामा
31. वेहनाराम पुत्र खेताराम
32. संगीता पुत्री उमाराम
33. हेमीदेवी पत्नी सताराम
34. हिमताराम पुत्र भीखाराम
35. केसाराम पुत्र मोडाराम
36. चेनाराम पुत्र मोडाराम
37. निम्बाराम पुत्र पूनमाराम
38. फगलूराम पुत्र पूनमाराम
39. मगाराम पुत्र मोडाराम
40. लालाराम पुत्र मोडाराम
41. विरधाराम पुत्र मोडाराम
42. हेमाराम पुत्र पूनमाराम

सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी गुढ़ामालानी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:59:52 IST
Reason: SelfAttested

43. हरजीराम पुत्र मोडाराम
44. चूनाराम पुत्र प्रभूराम
45. चेनाराम पुत्र मगाराम
46. ठाकराराम पुत्र प्रभूराम
47. नारणाराम पुत्र मालाराम
48. पुरखाराम पुत्र प्रभूराम
49. पुरोदेवी पत्नी प्रभूराम
50. भीयाराम पुत्र प्रभूराम
51. लाधुदेवी पत्नी मालाराम
52. विशनसिंह पुत्र मगाराम
53. हनुमानराम पुत्र मगाराम
54. हिमताराम पुत्र मालाराम
55. खेता पुत्र नारणा
56. ताजाराम पुत्र पीराराम
57. दोलाराम पुत्र पीराराम
58. रावता पुत्र नारणा
    जाति जाट निवासी सगराणियो की बेरी तहसील गुड़ामालानी
59. केहराराम पुत्र राहींगाराम
    जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी

............असल अप्रार्थीगण

60. तहसीलदार गुड़ामालानी

.................तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 27.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 700/1, 817/6, 869/817, 873/817 रकबा क्रमंशः 5.6332 है0, 1.4569 है0, 5.0190 है0, 2.8636 है0 मौजा सगराणियो की बेरी, खसरा संख्या 704/5.5604 है0 मौजा पीपराली पटवार हल्का पीपराली तहसील गुड़ामालानी में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:59:52 IST
Reason: SelfAttested

की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 08.06.2022 की पालना में दिनांक 26.06.2022 व 25.06.2022 को पटवारी हल्का पीपराली द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 700 / 1, 817 / 6, 869 / 817, 873 / 817 रकबा क्रमंशः 5.6332 है0, 1.4569 है0, 5.0190 है0, 2.8636 है0 मौजा सगराणियो की बेरी, खसरा संख्या 704 / 5.5604 है0 मौजा पीपराली पटवार हल्का पीपराली तहसील गुड़ामालानी की पत्थरगढ़ी दिनांक 26.06.2025 व 25.06.2025 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 25.06.2025, 26.06.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries**.—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 15:59:52 IST
Reason: SelfAttested

> *three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071—74, 2072—2075 वाके ग्राम सगराणियो की बेरी व पीपराली में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके सगराणियो की बेरी व पीपराली के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 25.06.2025 व 26.06.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:59:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 700/1, 817/6, 869/817, 873/817 रकबा क्रमंशः 5.6332 है0, 1.4569 है0, 5.0190 है0, 2.8636 है0 मौजा सगराणियो की बेरी, खसरा संख्या 704/5.5604 है0 मौजा पीपराली पटवार हल्का पीपराली तहसील गुड़ामालानी पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 27.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

सत्यमेव जयते
गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 15:59:52 IST
Reason: SelfAttested